पत्र न0 177
दिनांक 29/1/14

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या / ऐ–2 / 338 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष (म0) के अनुमोदन दिनांक 22.01.2014 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

क्र0स0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना / परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1-	046039	जागृति विहार (विस्तार) योजना, संख्या–11 मेरठ में स्व वित्त पोषित योजना–2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित एफ – 127 प्रकार के 40नग(बी+एस+10)भवनों का निर्माण कार्य।	1199.60	101 / 38

1– उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
2– कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ कराया जायेगा।
3– प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगें।
4– प्रश्नगत कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 2 वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
5– विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
6– निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
7– प्रश्नगत फ्लैट्स के निर्माण पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्निशमन विभाग से अनिन्तम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।
8– प्रस्तुत प्रस्ताव एक ब्लाक का होने के कारण प्रथम चरण में भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव मे जनरेटर / ट्रासफार्मर व रेनवाटर हार्वेस्टिंग, बाउन्ड्रीवाल व कम्यूनिटी सेन्टर की लागत सम्मिलित नही है।
9– उक्त कार्य निर्धारित समयावधि मे उच्चतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाय तथा कार्य की गुणवता की चेकिंग सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवश्य ही सुनिश्चित की जाय।
10– प्रश्नगत कार्य के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

(डी0के0त्यागी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

पृ0सं0: 373 / ए–2 / 338 दिनांक 29-1-2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त / अपर आवास आयुक्त एवं सचिव / मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट) / द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ / मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता(नि–1) / निर्माण खण्ड–08, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ / मेरठ।
6. मूल्यांकन / सम्परीक्षण अधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

29/1/14
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

AEI/ul

29/1/14

2- Altc-1p

29/1/14

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ

संख्या 2527 / ए–2 / टी0एस0 / 338 दिनांक 24-7-2014

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित प्राक्कलन के क्रम में एतदद्वारा तकनीकी स्वीकृति स्वीकृति निर्गत की जाती है :–

1–	कार्य का विवरण	जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0–11, मेरठ में स्व वित्त पोषित योजना–2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित एफ–127 प्रकार के 40 नग (एस+10) भवनों का निर्माण कार्य।
2–	आई0डी0कोड नं0	046039
3–	3अ– प्रशासनिक स्वीकृति का सन्दर्भ	अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश सं0–373 / ए–2 / 338 दिनांक 29.01.2014
	3ब– कार्य की लागत	रू0 1199.60 लाख
4–	तकनीकी स्वीकृति की लागत	रू0 980.00 लाख
5–	लेखा शीर्षक संख्या	101 / 38

प्रतिबन्ध

1– कार्य का सम्पादन मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों / प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

2– विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

3– तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

4– कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाय।

5– सम्पूर्ण कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार निर्धारित अवधि 02 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।

6– प्राक्कलन में ली गयी सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टियॉ प्रयोग करने से पूर्व नियमानुसार जॉच कर सुनिश्चित की जाय।

मुख्य अभियन्ता

पृ0सं0 2527 / ए–2 / टी0एस0 / 338 दिनांक 24-7-2014

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ ।

2– मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3– अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0) / द्वितीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ / मेरठ।

4– अधिशासी अभियन्ता(मु0) / अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–05, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ / मेरठ।

मुख्य अभियन्ता